प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री आर. एल. झंवर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक **215/2008**

अपीलार्थी

राज कुमार अशरानी

गैर दावाकर्ता क्रमांक **2**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण
दावाकर्ता

श्रीमती इंदिरा बाई एवं अन्य

आदेश

आदेश सूची हेतु बद्ध किया गया 26/08/2010

न्यायाधीश

26/08/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री आर. एल. झंवर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 215/2008

अपीलार्थी : राज कुमार अशरानी, आत्मज

गैर-दावाकर्ता क्रमांक 2 गुरुमुख दास सिंधी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी चरामा, थाना एवं तहसील चरामा, जिला कांकेर (छ.ग.) । (वाहन मालिक)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण दावाकर्ता :

1. श्रीमती इंदिरा बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री उजर सिंह गोंड, उम्र लगभग 35 वर्ष ।
2. गौतम, आत्मज स्वर्गीय श्री उजर सिंह गोंड, उम्र लगभग 14 वर्ष ।

3. नारद राम, आत्मज स्वर्गीय श्री उजर सिंह गोंड, उम्र लगभग 12 वर्ष ।

उत्तरवादी/दावाकर्ता क्रमांक 2 एवं 3 अप्रासवय, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व उनकी माता (नैसर्गिक संरक्षक) श्रीमती इंदिरा बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री उजर सिंह गोंड, उम्र लगभग 35 वर्ष के द्वारा किया जा रहा है ।

उत्तरवादी/दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 निवासी चरामा, थाना एवं तहसील चरामा, जिला कांकेर (छ.ग.) ।

नोट - दावाकर्ता दुहउराम (धवरुराम) की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उन्हें इस अपील में पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संत कुमार, आत्मज परदेशी राम रावत, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी- ग्राम बसनवही, थाना एवं तहसील चरामा, जिला कांकेर (छ.ग.) । (वाहन चालक)

5. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, महात्मा गांधी, फोर्ट, मुंबई, शाखा कार्यालय- पुराने बस स्टैंड के पीछे, धमतरी, जिला- धमतरी (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत अपील

उपस्थिति
अपीलार्थी के लिए: श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक 5 के लिए: श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता ।
अन्य उत्तरवादीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(26/08/2010 को पारित)

1. यह वाहन मालिक द्वारा अपील है, जो अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बालोद, जिला दुर्ग (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण ') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 2/2006 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.11.2009 के विरुद्ध है, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने मृत्यु के मामले में 6% प्रति वर्ष ब्याज सहित 1,97,800/- रुपए की राशि का आदेश दिया था तथा मालिक पर मुआवजा देने का दायित्व निर्धारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक - उजर सिंह, मेटाडोर क्रमांक No. MP.26 बी 4879 (संक्षेप में 'दुर्घटना कारित करने वाला वाहन') में हेल्पर के पद पर कार्यरत था। 14.01.1994 को जब मृतक धान लेकर जा रहा था, तो उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन उसके चालक द्वारा, जो उपेक्षा और लापरवाही से वाहन

चला रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उजर सिंह की मृत्यु हो गई।

3. यह विवादित नहीं है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अपीलकर्ता का था और उत्तरवादी क्रमांक 5 के पास बीमाकृत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उजर सिंह की मृत्यु के लिए 4,66,000/- रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए, दावाकर्तागण यानी पत्नी और बच्चों ने अनुरोध किया कि मृतक हेल्पर के रूप में 1200/- रुपये कमाता था; अपने परिवार का भरण-पोषण करता था और उसकी असामयिक मृत्यु के कारण, दावाकर्ता बेघर हो गए हैं और उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है और दुर्घटना की तिथि पर वह एक युवा व्यक्ति था।

5. चूँकि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने न्यायाधिकरण के समक्ष कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया और न ही मामले का प्रतिवाद किया, इसलिए उसे एकपक्षीय

घोषित किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने लिखित कथन दाखिल करके सभी दावों का खंडन किया और विशेष रूप से अनुरोध किया कि दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमा, बीमा कंपनी द्वारा कराया गया था, इसलिए वह किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अपने लिखित कथन में स्पष्ट रूप से इनकार किया और अनुरोध किया कि उसे दुर्घटना के बारे में कोई सूचना नहीं मिली और दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमा कंपनी द्वारा नहीं कराया गया था और उसने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच के बाद यह माना कि मृतक - उजर सिंह की मृत्यु मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई है; दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसके चालक द्वारा उपेक्षा और लापरवाही से चलाया जा रहा था। अतः, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की लापरवाही के कारण उसे 1,97,800/- रुपये का मुआवजा

दिया गया। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को उन्मोचित करते हुए दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मालिक पर 6% वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा देने का दायित्व तय किया है। उक्त आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है।

7. अपीलकर्ता/वाहन मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का मालिक है, जिसका बीमा उत्तरवादी क्रमांक 5 के पास था और इसके लिए उसने चेक जारी करके प्रीमियम का भुगतान किया है। इसके बाद, 16.06.1993 को एक कवर नोट प्रदर्श डी-1 जारी किया गया और उसके अनुसार बीमा पॉलिसी 16.06.1993 से 15.06.1994 तक वैध थी। 16.06.1993 को ही बीमा पॉलिसी संख्या 31451204-09148 प्रदर्श डी-2 भी जारी की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को चेक के अनादर और पॉलिसी के रद्द होने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली और चूंकि चेक के अनादर और पॉलिसी के रद्द होने के संबंध में कोई सूचना उसके पास नहीं थी, इसलिए बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई पॉलिसी दुर्घटना की तिथि पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वैध और प्रभावी थी। इन आधारों पर, अपीलकर्ता तीसरे पक्ष/दावेदार को मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने उसे मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर बीमा कंपनी को मुआवज़ा देने के दायित्व से उन्मोचित करने में त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजेंद्र मौर्य एवं अन्य, 2008 (2) सी.जी.एल.जे. 107**, **ईश्वर सिंह बनाम अशोक कुमार एवं अन्य, 2000(1) टी.ए.सी. 585 (एम.पी.)**, **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैदराबाद बनाम पिंजारी हुसैनम्मा एवं अन्य, 2000 (3) टी.ए.सी. 48 (एपी)**, **अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम वीर सती एवं अन्य, 2000 (3) टी.ए.सी. 344** एवं **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अभयसिंह प्रतापसिंह वाघेला एवं अन्य, 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 6178** का अवलंब लिया है । उपर्युक्त निर्णयों पर समर्थन करते हुए, उन्होंने आगे तर्क दिया कि चेक द्वारा प्रीमियम प्राप्त करने के बाद पॉलिसी जारी की गई थी, इसलिए वाहन बीमा कंपनी द्वारा बीमित माना गया और चेक अनादरित होने पर पॉलिसी रद्द होने की सूचना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देना बीमा कंपनी का कर्तव्य है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति देने की ज़िम्मेदारी बीमा कंपनी पर अधिरोपित की जाए।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि वाहन मालिक से चेक द्वारा प्रीमियम प्राप्त करने के बाद ही पॉलिसी जारी की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बाद में, संबंधित बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिए जाने के कारण, बीमा कंपनी ने पॉलिसी रद्द कर दी एवं चेक के अनादरण और पॉलिसी रद्द होने की सूचना बीमाधारक को दी थी। इसलिए, बीमा कंपनी तीसरे पक्ष को मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। उन्होंने **डेडप्पा एवं अन्य बनाम शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2008) 2 एससीसी 595** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है, न्यायाधिकरण के अभिलेख सहित आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है।

10. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पॉलिसी संख्या 31451204-09148 प्रदर्श डी-2, 16.06.1993 को 15.06.1994 तक की अवधि के लिए जारी की गई थी और प्रीमियम का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था, जिसे प्रदर्श डी-4 के अनुसार बैंक में भी जमा किया गया था। इस बिंदु पर, बीमा कंपनी ने सत्येंद्र कुमार आहूजा, अनावेदक गवाह -1 के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अपने कथन में कहा है कि पॉलिसी प्रीमियम के बदले जारी की गई थी, जो चेक के माध्यम से दिया गया था। इसके बाद, चेक का अनादरण हो गया और उनके अनुसार चेक के अनादरण का कारण यह माना गया कि कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, और इसलिए, जारी की गई पॉलिसी को रद्द माना गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि चेक के अनादरण के बारे में बीमा कंपनी द्वारा वाहन मालिक को सूचित किया गया था, लेकिन इस संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि चेक अनादरण होने के संबंध में संबंधित बैंक द्वारा जारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया पत्र उनके अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह मामला पुराना है। इससे पता चलता है कि बीमा कंपनी द्वारा चेक के अनादरण और पॉलिसी रद्द करने संबंधी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी रद्द करने और चेक के अनादरण की सूचना वाहन मालिक को भेजी गई थी। ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना बीमा कंपनी का कर्तव्य है क्योंकि दस्तावेज़ी साक्ष्य का मूल्य मौखिक साक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभिलेखों से स्पष्ट है कि वाहन का बीमा, बीमा कंपनी द्वारा कराया गया था और चेक 16.06.1993 को जारी किया गया था तथा कवर नोट भी जारी किया गया था, जो कि प्रदर्श डी-1 है। पॉलिसी प्रदर्श डी-2 उसी तिथि को जारी की गई थी जिसमें तृतीय पक्ष के जोखिम को शामिल किया गया था और यह 16.06.1993 से 15.06.1994 तक प्रभावी थी और दुर्घटना 04.01.1994 को हुई थी, जिससे पता चलता है कि वाहन का बीमा कंपनी द्वारा बीमा कराए जाने के

6 महीने बाद दुर्घटना हुई। इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक-5 बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य था। मेरा मत है कि विद्वान न्यायाधिकरण बीमा कंपनी को इस आधार पर मुआवज़ा राशि देने से उन्मोचित करने में त्रुटि की, कि चेक के अनादरण के कारण बीमा पॉलिसी निष्प्रभावी हो गई थी। वैसे भी, बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद चेक का अनादरण, जिसमें कवर नोट भी शामिल है, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 147 (5) और 149 (1) के प्रावधानों के अनुसार, तीसरे पक्ष के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, जो इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"147. -- पालिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं।

(1).....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता जो इस धारा के अधीन बीमा पालिसी देता है, उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में विनिर्दिष्ट हैं, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति के लिए वह पालिसी तात्पर्यित है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

149. पर-व्यक्ति जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध हुए निर्णयों और अधिनिर्णयों की तुष्टि करने का बीमाकर्ताओं का कर्तव्य

। --- 149. (1) यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा-प्रमाण-पत्र दे दिए जाने के पश्चात्, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 163क के उपबंधों के अधीन पालिसी द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित दायित्व के संबंध में (जो दायित्व पालिसी के निबंधनों के अंतर्गत है) ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय या अधिनिर्णय अभिप्राप्त कर लिया

जाता है जिसका पालिसी द्वारा बीमा किया हुआ है तो इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पालिसी को शून्य करने या रद्द करने का हकदार है अथवा उसने पालिसी शुन्य या रद्द कर दी है, बीमा-कर्ता इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए डिक्री का फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति को, उस दायित्व के संबंध में उसके अधीन देय राशि, जो बीमाकृत राशि में अधिक न होगी, खर्चों की बाबत देय किसी रकम तथा निर्णयों पर ब्याज संबंधी किसी अधिनियमिति के आधार पर उस राशि पर ब्याज की बाबत देय किसी धनराशि सहित इस प्रकार देगा मानो वह निर्णीतऋणी हो ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147(5) और 149(1) के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि बीमा पॉलिसी चेक की निविदा पर जारी की गई थी, जो बाद में बैंक द्वारा अनादरित कर दी गई थी, तब भी बीमाकर्ता, बीमा अधिनियम, 1938 (इसके बाद अधिनियम, 1938) की धारा 64 वीबी के प्रावधानों के बावजूद, तीसरे पक्ष को मुआवजा राशि का भुगतान करने

के लिए बीमा कंपनी का दायित्व जारी रहता है और वह मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

12. अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी इस प्रकार है:

"64 वीबी जब तक प्रीमियम अग्रिम रूप में प्राप्त न हो जाए, तब तक कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा.--- (1) कोई भी बीमाकर्ता भारत में किसी ऐसे बीमा कारोबार के संबंध में कोई जोखिम नहीं लेगा, जिस पर प्रीमियम भारत के बाहर सामान्यतः देय नहीं है, जब तक कि देय प्रीमियम उसके द्वारा प्राप्त न कर लिया जाए या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर भुगतान किए जाने की गारंटी न दे दी जाए, जैसा कि विहित किया जाए या जब तक कि ऐसी रकम, जैसी कि विहित की जाए, विहित रीति से अग्रिम रूप में जमा न कर दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन जोखिमों के मामले में जिनके लिए प्रीमियम पहले से सुनिश्चित किया जा सकता है, जोखिम

उस तारीख से पहले ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, जिस तारीख को प्रीमियम का भुगतान बीमाकर्ता को नकद या चेक द्वारा किया गया हो।

स्पष्टीकरण--- जहां प्रीमियम डाक द्वारा दिया जाता है, डाक द्वारा भेजे गए मनीऑर्डर या चेक के मामले में, जोखिम उस तारीख को लिया जा सकता है जिस दिन मनीऑर्डर बुक किया गया हो या चेक पोस्ट किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्रीमियम की कोई वापसी जो पॉलिसी के रद्द होने या उसकी शर्तों में परिवर्तन या अन्यथा के कारण बीमाधारक को देय हो जाती है, बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को सीधे रेखांकित या आदेशित चेक या डाक मनीऑर्डर द्वारा भुगतान की जाएगी और बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक से उचित रसीद प्राप्त की जाएगी, और ऐसी वापसी किसी भी मामले में एजेंट के खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(4) जहां कोई बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता की ओर से बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम एकत्रित करता है, वहां वह बैंक और डाक अवकाशों को छोड़कर, संग्रहण के चौबीस घंटे के भीतर, अपने कमीशन की कटौती किए बिना, इस प्रकार एकत्रित प्रीमियम को पूर्ण रूप से बीमाकर्ता के पास जमा करेगा या डाक द्वारा बीमाकर्ता को भेजेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, बीमा पॉलिसियों में विशेष श्रेणियों के संबंध में उपधारा (1) की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) प्राधिकरण समय-समय पर अपने द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम प्राप्त करने का तरीका निर्दिष्ट कर सकेगा।"

उपरोक्त प्रावधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी बीमाकर्ता के लिए एक विधायी निषेधाज्ञा के रूप में है कि वह किसी भी बीमा के संबंध में तब तक कोई जोखिम न उठाए जब तक कि देय प्रीमियम उसे प्राप्त न हो जाए या ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के

भीतर भुगतान किए जाने की गारंटी न दी जाए। जहां बीमाकर्ता ने अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के बावजूद प्रीमियम प्राप्त किए बिना ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी जारी कर दी, बीमाकर्ता, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147(5) और 149 के प्रावधानों के कारण उस पॉलिसी द्वारा कवर किए गए दायित्व के संबंध में तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने और उसके संबंध में मुआवजे के अभिनिर्णयो को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हो गया, भले ही वह इस कारण से पॉलिसी से बचने या उसे रद्द करने का हकदार हो कि प्रीमियम के भुगतान के लिए जारी किया गया चेक मान्य नहीं। अधिनियम, 1988 की धारा 149 की उपधारा (1) में उल्लिखित शब्द "बीमाकर्ता, इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति को उसके अधीन देय बीमित राशि से अनधिक कोई राशि देगा, मानो वह निर्णय ऋणी हो, दायित्व के संबंध में, साथ ही लागतों के संबंध में देय कोई राशि और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी अधिनियम के आधार पर उस राशि पर ब्याज के संबंध में देय कोई राशि" और "इसके बावजूद कि बीमाकर्ता पॉलिसी को टालने या रद्द करने का हकदार हो सकता है या टाल चुका हो सकता है या रद्द कर चुका हो सकता है" स्पष्ट रूप से इस अधिदेश को इंगित करते हैं कि एक बार बीमाकर्ता द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 147 की उपधारा (3) के तहत उस व्यक्ति के पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है जिसके द्वारा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी की उपधारा (1) के अनुपालन के बावजूद पॉलिसी प्रभावी की गई है, तो जहां तक तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व का संबंध है, बीमा कंपनी इसके बावजूद कि वह टालने या रद्द करने का हकदार हो सकती है, उत्तरदायी होगी। या हो सकता है कि उसने वास्तव में बीमा पॉलिसी को टाला या रद्द किया हो। बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई बीमा पॉलिसी एक प्रतिनिधित्व थी जिस पर प्राधिकारी और तृतीय पक्ष कार्रवाई करने के हकदार थे और इसलिए, बीमाकर्ता को बीमा पॉलिसी के तहत तृतीय पक्षों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के प्रति अपने दायित्वों से केवल इसलिए मुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसे प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ था। इस संबंध में उसके उपचार बीमित व्यक्ति के विरुद्ध थे।

12. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंद्रजीत कौर एवं अन्य (1998) 1 एससीसी 371** में इसी तरह की परिस्थितियों में यह माना गया था कि यह अपीलकर्ता स्वयं था, जो अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था। इसने अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केवल प्रीमियम के लिए चेक प्राप्त होने पर बीमा पॉलिसी जारी की थी। इसलिए बीमा पॉलिसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सार्वजनिक हित अपीलकर्ता के हित पर स्पष्ट रूप से प्रबल होना चाहिए। इसलिए, तीसरे पक्ष के प्रति बीमा कंपनी की देयता के संबंध में अधिनियम, 1988 की धारा 149 की उपधारा (1) में निहित प्रावधान के मद्देनजर, यह पूरी तरह से महत्वहीन है कि बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई बीमा पॉलिसी दुर्घटना से पहले या बाद में रद्द कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रीमियम का भुगतान चेक से किया गया था और उसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की गई थी, इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 5 को मुआवजा देने का ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने उत्तरवादी क्रमांक 5/बीमा कंपनी को दावाकर्ता को मुआवजा देने से उन्मोचित कर त्रुटि की है।

14. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता/ वाहन मालिक द्वारा दायर अपील स्वीकार की जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को संशोधित किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 /बीमा कंपनी, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर, न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज सहित, दावाकर्ता को 1,97,800/- रुपये का भुगतान करे। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

श्री आर. एल. झंवर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Rakesh Kumar Kashyap

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur